न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 234 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. जीयोंदेवी पुत्री गंगाराम पत्नी भारूराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भीयाराम पुत्र गोमाराम उम्र 55 वर्ष 2.लाला उर्फ बांका पुत्र भगवानाराम उम्र 45 वर्ष 3.कौशला पुत्र गोमा उम्र 48 वर्ष 4.बाबूदेवी पत्नी कौशला उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर। 5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक शिव जिला बाड़मेर। 6.शाखा प्रबन्धंक, बीसीबीसी शाखा सवाऊ पदमसिंह तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 122 / 2010 बअनवान भीयाराम वगैरा बनाम लाला वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मनोज पारिक रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 05.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पूर्वज ग्राम उण्डू, तहसील शिव के पैतृक खेत सेटलमेंट पूर्व खसरा संख्या 129, 66, 121 व 128 वर्तमान ग्राम धीरजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 260 रकबा 0.14 बीघा व ग्राम मूढणों की ढाणी के खसरा संख्या 406 / 261 रकबा 27 बीघा व खसरा संख्या 261 रकबा 71.19 बीघा तथा वर्तमान ग्राम प्रहलादपुरा के खेत खसरा संख्या 82 रकबा 58.06 बीघा के पट्टाबापी खेत वादी एवं प्रतिवादीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पूर्वजों के नाम से आये हुऐ थे जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पर्वू पुरूषों दुर्गा पुत्र राजू, खरथा पुत्र राजू , भूरा पुत्र राजू तीनों का 1/3–1/3 हिस्सेदार थे। भू प्रबंधक के समय तत्समय के बसरे सदर कुछ खेत अपने अपने कब्जे अनुसार अपने अपने नाम पर अंकित हुऐ तथा वे खेत जो समस्त रूप से संयुक्त खातेदारी में अंकित हुऐ थे व संयुक्त व पैतृक है लेकिन खतौनी बंदोबस्त तैयार करते वक्त सेटलमेंट विभाग ने उपरोक्त खसरा संख्या की भूमि दुर्गा पुत्र राजू अकेले के नाम दर्ज की। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 द्वारा जानबुझकर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि अपीलांट भी उतरदाता सख्या 01 के समान वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा है क्योंकि वादग्रस्त भूमि में उतरदाता संख्या 02 का 1/2 हिस्सा, उतरदाता संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा अपीलांट के पैतृक खातेदारी का है जिस पर उतरदाता संख्या 01 अन्य उतरदातागण के साथ सहखातेदार घोषित किया गया है उस अनुसार अपीलांट भी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है तथा उतरदाता संख्या 01 के साथ समान हक हिस्सा है क्योंकि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 01 व 03 स्व. भूरा के वंशज है। अधीनस्थ न्यायाल में उतरदाता संख्या 01 द्वारा उक्त वाद पेश करने में पक्षकारों का कंसंयोजन किया गया है तथा जानबूझकर अपीलांट को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाकर उसे वादग्रस्त भूमि से महरूम रखने का प्रयास किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल जाकर पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पेश वाद में पक्षकारों के कुंसंयोजन के कारण अपीलांट को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब दावा व साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को जबाव दावा व सुनवाई का अवसर देना कानूनन न्यायोचित है क्योंकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी की हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल जाकर पारित की गई है जो विधि सम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वाद पेश कर अपना दावा साबित कर सकती है। अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करवाने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट को दावे की जानकीर थी। मामले में पेश डालने के लिए यह अपील पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को संशोधन कर रेस्पोडेंट के हिस्से की सह दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन करने पर इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट वंशवृक्ष के अनुसार वादग्रस्त आराजी के पूर्व पुरूष की वंशज होने से अपीलाधीन आराजी में उसका हक हिस्सा निहित है। लेकिन अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने से मामला लंबा होगा तथा अपीलांट का संबंध सभी पक्षकारों से नहीं है। अतः अपीलांट वादग्रस्त आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में स्वतंत्र वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

05/12/19

(नाथूसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

05/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner